संख्या– / XVIII(II)/2021–18(38)/2020

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 11 जून, 2021

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–309/2018 "रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जायेगा" की पूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–462/मा0मु0म0घो0/2019–20, दिनांक 27 जून, 2020 जो सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–309/2018 "रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जायेगा" की पूर्ति के सम्बन्ध में रामनगर स्थित पुरानी तहसील की रिक्त भूमि खतौनी खाता संख्या–73 खसरा संख्या–255 कुल रकवा 0.224 है0 श्रेणी–15(2) (जो तहसील के नाम इन्द्राज है) को आवास विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के प्ररिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–309/2018 "रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जायेगा" की पूर्ति के सम्बन्ध में रामनगर स्थित पुरानी तहसील की रिक्त भूमि खतौनी खाता संख्या–73 खसरा संख्या–255 कुल रकवा 0.224 है0 श्रेणी–15(2) (जो तहसील के नाम इन्द्राज है) को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)50(39)–2015/2014 दिनांक 09 जुलाई, 2015 शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/2015–18(169)/ 2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020–8(63)/ 2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदया आवास विभाग के पक्ष में वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

....2

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त आवंटित भूमि पर निर्मित भवन निर्धारित मानकों, भूकम्प विरोधी, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हारवेस्टिंग, सौर ऊर्जा आदि सुविधाओं को सुनिश्चित किया जायेगा।

2– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव।

संख्या–541/XVIII(II)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।